उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
(वास्तुकला अनुभाग)
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

पत्रांक: 10 / CAP/ CAMP/2012-13 दिनांक: 22/3/13

कार्यालय आदेश

परिषद की विभिन्न योजनाओं में भूमि की उपलब्धता रहते हुए भी ले–आउट प्लान, बिल्डिंग प्लान, बिल्डिंग डिजाईन एवं वर्किंग ड्राइंग प्राप्त होने में अधीक्षण अभियन्ताओं/अधिशासी अभियन्ताओं को हो रही कठिनाईयों/विलम्ब के दृष्टिगत पूर्व में आदेश सं0–1114/प्रशा0–एक दिनांक 11.07.2008 द्वारा वास्तुकला एवं नियोजन इकाईयों को विकेन्द्रीकृत करते हुए वास्तुकला नियोजक इकाई–प्रथम का मुख्यालय लखनऊ से मेरठ एवं वास्तुकला नियोजन इकाई–द्वितीय का मुख्यालय लखनऊ से मुरादाबाद किये जाने का निर्णय लिया गया था। तत्पश्चात् आदेश सं0–207/पी0एस0/एच0सी0 दिनांक 25.11.2011 द्वारा वास्तुकला नियोजन इकाई प्रथम मेरठ का मुख्यालय गाजियाबाद किया गया। उक्त इकाईयों में कार्यरत अधिकारियों के दिन–प्रतिदिन किये गये कार्यों की समीक्षा किया जाना संभव न हो पाने, उक्त इकाईयों में कार्यरत पदस्थ अधिकारियों को महत्वपूर्ण प्रकरणों में विचार–विमर्श करने/कार्यों के निस्तारण हेतु लखनऊ आने–जाने के कारण स्थानीय स्तर पर कार्य प्रभावित होने एवं परिषद पर अतिरिक्त व्ययभार पड़ने के दृष्टिगत परिषद हित में निम्नवत् आदेश दिये जाते हैः–

1. वास्तुकला नियोजन इकाई–प्रथम गाजियाबाद का मुख्यालय गाजियाबाद से लखनऊ परिवर्तित करते हुए उसका परिवर्तित नाम वास्तुकला नियोजन इकाई–प्रथम लखनऊ रखा जाता है। उक्त के फलस्वरूप वास्तुकला नियोजन इकाई–प्रथम गाजियाबाद में तैनात समस्त स्टाफ मय साज–सज्जा स्वतः लखनऊ स्थानान्तरित हो जायेंगे।

2. वास्तुकला नियोजक इकाई–द्वितीय मुरादाबाद का मुख्यालय मुरादाबाद से लखनऊ परिवर्तित करते हुए उसका परिवर्तित नाम वास्तुकला नियोजक इकाई–द्वितीय लखनऊ रखा जाता है। उक्त के फलस्वरूप वास्तुकला नियोजन इकाई–द्वितीय मुरादाबाद में तैनात समस्त स्टाफ मय साज–सज्जा स्वतः लखनऊ स्थानान्तरित हो जायेंगे।

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावी होगें।

21/3

(रुद्र प्रताप सिंह)
आवास आयुक्त

प्रतिलिपि:–निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद् नियोजक/वित्त नियंत्रक/मुख्य विधि परामर्शी।
2. समस्त संयुक्त आवास आयुक्त/उप आवास आयुक्त।
3. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
4. समस्त वास्तुविद् नियोजक।
5. मा0 अध्यक्ष (म0)/आवास आयुक्त/अपर आ0आ0 एवं सचिव/अपर आवास आयुक्त के निजी सचिव।
6. कार्यालय आदेश पुस्तिका/कम्पयूटर(प्रशा0)/मुख्यालय।

21/3

आवास आयुक्त